न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

विविध पत्रावली संख्या 008/2025
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. पृथ्वीपाल सिंह पुत्र श्री छिन्दा सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डी बड़ी ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। .....प्रार्थी

बनाम

1. कुलवीर सिंह पुत्र श्री मस्तान सिंह निवासी सिन्धु कालोनी चक 3 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। .....अप्रार्थी
2. अरजीत सिंह पुत्र श्री छिन्दा सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डी बड़ी ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरमीत सिंह पुत्र श्री छिन्दा सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डी बड़ी ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. चरणजीत कौर पत्नी छिन्दा सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डी बड़ी ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. पलविन्द्र कौर पुत्री छिन्दा सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डी बड़ी ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. चनप्रीत सिंह पुत्र श्री पृथ्वीपाल सिंह निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. राजवीर कौर पत्नी अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। .....तकमीलन अप्रार्थीगण
8. इंडियन बैंक शाखा श्रीगंगानगर।
9. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जवाहरनगर श्रीगंगानगर।
10. पंजाब नैशनल बैंक शाखा फतुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। .....अप्रार्थीगण

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश बत्तरा (प्रार्थी)
श्री तेजा सिंह सन्धु (अप्रार्थी संख्या 01)
पैरोकार राज (अप्रार्थी संख्या– 12)

दिनांकः– 30 अप्रैल, 2025

–निर्णय–

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किए कि प्रार्थी के पिता छिन्दा सिंह पुत्र तारा सिंह के नाम चक 4 डी बड़ी खाता संख्या– 23/14 में मुरब्बा नम्बर– 31 किला नम्बर– 1, 2, 3, 4 सालम, 5/1 में 0.228 है., 15/2 में 0.025 है., 6/1 में 0.228 है., 6/2 में 0.025 है., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सालम एवं किला नम्बर– 15/1 में 0.228 है., 15/2 में 0.025 है., 16/1 में 0.228 है., 16/2 में 0.025 है., किला नम्बर–17 ता 24 सालम, किला नम्बर–25/1 में 0.228 है. 25/2 में 0.025 है., एवं खाता संख्या– 29/14 मुरब्बा नम्बर– 32 के किला नम्बर– 3/2 में 0.088 है., किला नम्बर– 4 ता 7 सालम, किला नम्बर–8 में 0.202 है., 12/2 में 0.088 है., 13, 18 सालम, 19 में 0.202 है., 20/1 में 0.088 है., 21/2 में 0.088 है., 22 में 0.253 है., 23 में 0.253 है. कुल 9.1050 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता छिन्दा सिंह की मृत्यु के पश्चात चक 4 डी बड़ी खाता सं.– 23/14 में मुरब्बा नम्बर– 31 में कुल 6.2000 हैक्टेयर रकबा एवं मुरब्बा नम्बर– 32 में कुल 2.780 है. रकबा इस प्रकार कुल 9.1050 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है जिसमें अप्रार्थी संख्या– 1 के नाम 284/1821 हिस्सा रकबा नाम दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या– 02 ता 07 परिवार के सदस्य है। अप्रार्थी संख्या– 02 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:17:48 IST
Reason: SelfAttested
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

07 ना आने के कारण उन्हे तरमिमन अप्रार्थी बनाया गया है। बाकी रकबा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी शामिल दावा हाजा है। अब अप्रार्थी संख्या– 01 के मन में बदनीति आ गयी है इस बदनीति की वजह से वह जमीन का आगे बेचान करना चाहता है जबकि अभी तक मुश्तरका खाता है जिसमें प्रत्येक का हक व हिस्सा बनता है मगर अप्रार्थी जान–बूझ कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या– 02 ता 07 को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से अच्छी जमीन बेचने की फिराक में हैं जबकि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है लेकिन वह कानून को अपने हाथ में लेकर वादी व अप्रार्थी संख्या– 02 ता 07 को बेदखल करना चाहता है। जमाबन्दी में संयुक्त रकबा दर्ज है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या– 02 ता 07 इस जमीन के खातेदार है लेकिन अप्रार्थी संख्या– 01 द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या– 02 ता 07 को जमीन से बेदखल करना चाहता है तथा अच्छी जमीन से बेदखल करना चाहता है। इसलिए प्रथम दृष्टि से मामला प्रार्थी के पक्ष में है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। दो रोज पूर्व अप्रार्थी संख्या– 01 तथा अप्रार्थी संख्या0– 1 के साथ 3–4 आदमी आकर कहने लगे कि हम जमीन जो मौके की है उस अच्छी जमीन को खरीद रहे है तो प्रार्थी ने कहा कि अभी तक जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है तो कानूनन जमीन खरीदने तथा कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है तो अप्रार्थी द्वारा यह कहा कि हम कोई कानून नहीं जानते, हम जबरदस्ती इस जमीन पर कब्जा करेगें। अप्रार्थी संख्या– 01 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या– 02 ता 07 की जमीन पर जबरन करना चाहता है यदि उसने ऐसा कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। उक्त भूमि मुश्तरका खाता में होने के कारण अप्रार्थी सं. 01 उसको बेचने की फिराक में है जबकि भूमि के असली हकदार व मालिक सभी हिस्सेदार बराबर–बराबर के है अप्रार्थी संख्या– 01 के मन में बदनीति आ गयी है वह अच्छी भूमि को खुर्द बुर्द करने की चेष्टा में हैं यदि दौराने दावा भूमि बिक जाती है तो प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात होगा, दावा निष्फल हो जावेगा एवं आंयदा मुकदमाबाजी बढ़ेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी सूरत में प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आश्य का स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी संख्या– 01 उक्त भूमि को दौराने दावा रहन, बैय अथवा किसी भी तरीका से किसी को हस्तान्तरण ना करे। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 4 डी बड़ी खाता संख्या–23/14 में मुरब्बा नम्बर– 31 में किला नम्बर– 1 ता 25 व मुरब्बा नम्बर दृ 32 किला नम्बर– 3 ता 8 किला नम्बर– 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुल 9.1050 हैक्टेयर रकबा की मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे जाने एवं उसे रहन, बैय आदि करने से रोका जाने का आदेश दिया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RAJASTHAN HIGH COURT 2022(2)RRT 1175, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER 2011-12 (Supp.) RRT 680, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER 2012 (1) RRT 97, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER 2009(1) RRT 25, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation : 2022(2) DNJ (Rev.) 1541, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER 2024 (2) RRT 1379, RAJASTHAN HIGH COURT 2022(2) RRT 1034 पेश किये गये।

अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त वर्णित भूमि को रहन, बैय, अन्य तरिके से हस्तान्तरण न करें तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि खाता संख्या 23/14 के मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 1 से 25 व खाता सं. 23/14 के मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 3 ता 8, 12, 13, 18 ता 23 कुल 9.1050 है. मुश्तर्का खाता में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 02 को अप्रार्थी संख्या 01 कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 02 ता 07 अप्रार्थी संख्या 01 को तंग व परेशान कर रहे है इससे पूर्व अमरजीत कौर ने भी एक दावा को पेश किया था उसमें भी पहले स्टे लिया था जो बाद में दिनांक 23–3–2015 को खारिज हो गया था। पृथ्वीपालसिंह ने भी पूर्व में दावा पेश करके प्रारम्भिक डिक्री जारी करवा ली थी, बाद में जब फाईनल डिक्री में खाता अलग होने लगा तो नोटप्रैस करवा दिया था। उसके बाद साजिश रचकर अपने भाई मोहन सिंह से तीसरा दावा पेश करवाकर स्टे ले लिया था। इसके बाद मोहन सिंह ने दावा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिया था। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 01 को इनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 02 ता 07 अपने हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा ले सकते हैं। अप्रार्थी सं. 01 के हिस्से पर टी. आई. लेने के अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थना–पत्र काबिले खारिजी है। प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:17:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता। पूर्व में इनके दावे खारिज हो चुके है। सुविधा का संतूलन अप्रार्थी सं. 01 के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थना–पत्र काबिले खारिजी है। अप्रार्थी सं. 01 अपने हिस्से तक काबिज रहना चाहता था। अप्रार्थीगण सं. 02 ता 07 को उनके हिस्से से वेदखल नहीं करना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 01 अपने हिस्से का मालिक है, अपने हिस्से की हद तक कार्यवाही कर सकता है। अप्रार्थीगण सं. 02 ता 07 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। प्रार्थना–पत्र काबिले खारिजी है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब के समर्थन में न्यायालय हाजा द्वारा जारी निर्णय दिनांक 25 मार्च, 2015, प्रकरण संख्या 82/2014, बअनवान अमरजीतसिंह बनाम श्रीमती महेन्द्रकौर व अन्य की प्रमाणित प्रति पेश की।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतू हमें विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुओ, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति पर विचारण करना होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत आराजी में अप्रार्थी संख्या 01 कुलवीर सिंह के नाम कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह स्वीकृत तथ्य है कि अप्रार्थी संख्या 01 को प्रश्नगत आराजी की खातेदारी काश्तकार होने की हैसियत से अपने खातेदारी अधिकारों का प्रयोग करने से निषेध नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 01 प्रश्नगत आराजी में सहखातेदार है, जिसको अपनी आराजी को काश्त करने का अधिकार है जिसके विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

प्रार्थीगण द्वारा कब्जा के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सावित हो कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा हो। प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दू साबित करने में असफल रहें हैं। सम्पूर्ण मूस्तर्का खाता पर अस्थाई निषेधाज्ञा लेकर अन्य सहकास्तकारों को भूमि सुधार संबंधी कार्य करवाने से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पत्रावली में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित होने से दिनांक 17.03.2025 को चक 4 डी बड़ी पटवार हल्का दुल्लापुर केरी, भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/14 मुरब्बा नं. 31 व 32 की कुल 9.1050 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। मूल वाद के निस्तारण तक विविध पत्रावली संख्या 2025/008 मूल वाद संख्या 2025/017 के साथ नत्थी रहे। निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:17:48 IST
Reason: SelfAttested